

॥ न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर ॥

पीठासीन अधिकारी : नमित मेहता, आइ.ए.एस.

अपील सं० 2/2014

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. रमन लाल पुत्र रामचन्द्र जाति माली निवासी पोकरण		1. रावलराम पुत्र किशनाराम जाति माली निवासी पोकरण जिला जैसलमेर
2. टीकमचन्द्र पुत्र रामचन्द्र जाति माली निवासी पोकरण		2. ओमप्रकाश पुत्र किशनाराम जाति माली निवासी पोकरण जिला जैसलमेर
		3. परमसुख पुत्र किशनाराम जाति माली निवासी पोकरण जिला जैसलमेर
		4. काठूराम पुत्र गोपाराम उर्फ गोमाराम जाति माली निवासी पोकरण जिला जैसलमेर
		5. भंवरी पुत्री किशनाराम पत्नी रेंवताराम जाति माली निवासी बागवानों का बास तहसील पोकरण जिला जैसलमेर
		6. राधा पुत्री किशनाराम पत्नी भेराराम जाति माली निवासी बागवानों का बास तहसील पोकरण जिला जैसलमेर
		7. सूरज पुत्री गोपालाराम पत्नी आसूराम जाति माली निवासी बागवानों का बास तहसील पोकरण जिला जैसलमेर
		8. शांति पुत्री गोपालाराम पत्नी बाबूलाल जाति माली निवासी पीपाड तहसील पीपाड जिला जोधपुर
		9. अम्बालाल पुत्र रूपाराम जाति माली निवासी पोकरण जिला जैसलमेर
		10. तहसीलदार पोकरण जिला जैसलमेर



अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध नामान्तरण संख्या 6255 दिनांक 25-10-2012 जो तहसीलदार पोकरण द्वारा स्वीकृत किया गया

उपस्थित :-

01. श्री सत्यनारायण पुरोहित अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
02. श्री अब्दुल रहमान मेहर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 7 की ओर से
03. तहसीलदार जैसलमेर पैरोकार राज अप्रार्थी संख्या 10 की ओर से
(अप्रार्थी संख्या 9 अनुपस्थित, अप्रार्थी संख्या 8 की तलबी बंद की गई)

:: निर्णय ::

दिनांक : 15-07-2019

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पोकरण के खसरा नम्बर 1108 रकबा 06 बीघा 03 बिस्वा के संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पोकरण द्वारा वाद संख्या 73/2009 अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में पारित निर्णय दिनांक 13-09-2012 के

जिला कलक्टर
जैसलमेर

अनुसरण में जारी प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर तहसीलदार पोकरण के द्वारा जारी आदेश राजस्व/2723 दिनांक 21-09-2012 की पालना में हल्का पटवारी पोकरण द्वारा नामान्तरण संख्या 6255 दिनांक 25-10-2012 को खोला जाकर तहसीलदार पोकरण को भू अभिलेख निरीक्षक पोकरण की जाँच के बाद प्रस्तुत किया गया जिस पर तहसीलदार पोकरण ने दिनांक 25-10-2012 को यह टिप्पणी अंकित की कि अंतिम निर्णयानुसार स्वीकृति हेतु पेश करें। उक्त टिप्पणी के पारित करने के पश्चात दिनांक 25-10-2012 को ही तहसीलदार पोकरण ने उक्त नामान्तरण पर यह आदेश पारित किया कि "निर्णय का पुनः अवलोकन किया गया। जारी प्राथमिक डिक्री की पालना प्रेषण करने के लिये कालम 9 ता 13 स्वीकृत किया जाता है।" अपील में प्रश्नगत नामान्तरण स्वीकृति विधि विरुद्ध व कानूनी प्रक्रिया के विरुद्ध होना उल्लेखित किया गया है। अपीलान्त का कथन है कि वाद में प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी व अंतिम डिक्री जारी होने से पूर्व व प्रारम्भिक डिक्री के विरुद्ध अपील की समयावधि के अवसान की प्रतीक्षा किये बिना प्रश्नगत नामान्तरण की स्वीकृति विधि विरुद्ध है। अपीलान्त का कथन है कि प्रश्नगत नामान्तरण स्वीकार करने से पूर्व अपेक्षित जाँच नहीं की गई। अपीलान्त का कथन है कि वाद संख्या 73/2009 में वादीगण संख्या 1 से 3 जो किशनाराम के पुत्र हैं, वादी संख्या 4 गोपालाराम पुत्र जीवनाराम तथा वादी संख्या 5 कालूराम पुत्र गोमाराम ने ग्राम पोकरण के खसरा नम्बर 1108 रकबा 06 बीघा 03 बिस्वा में 2/3 हिस्सा खातेदारी का अनुतोष चाहा गया था। इस वाद में किशनाराम की पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाया गया। वादी गोपालाराम की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी पुत्रियों को भी पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया। वाद में बंटवारे की भी इस्तदुआ चाही गई जिसमें प्रत्येक पक्षकार का हिस्सा अलग-अलग रूप से घोषित किया जाना था व वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्त का कब्जा उपयोग व उपयोग रहा है जो पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर है। प्रश्नगत नामान्तरण स्वीकृति से पूर्व अपीलान्त रमणलाल, टीकमचन्द्र पिसरान रामचन्द्र का प्रश्नगत आराजी में 1/4 हिस्सा व रेसपोडेन्ट अम्बालाल पुत्र रूपाराम का 1/4 हिस्सा दर्ज था जबकि अपीलाधीन नामान्तरण में अम्बालाल पुत्र रूपाराम व रमणलाल, टीकम पिसरान रामचन्द्र का 1/3 हिस्सा व कालूराम पुत्र गोपालाराम उर्फ गोमाराम, सूरज, शांति पुत्रिया गोपालाराम, रावलराम, ओमप्रकाश, परमसुख पिसरान किशनाराम, भंवरी, राधा पुत्रियां किशनाराम (रेसपोडेन्ट संख्या 1 से 8) का 2/3 हिस्सा दर्ज किया गया है। अपीलान्त का कथन रहा है कि रमणलाल वगैरह ने भूमि रावलराम से क्रय की थी व अम्बालाल ने फूसाराम से भूमि क्रय की थी और उसी के अनुसार उनके हिस्से दर्ज थे। अपीलान्त ने अपील में वर्णित आधारों पर प्रश्नगत नामान्तरण अपास्त करने का अनुरोध किया है। अपील के साथ अपीलान्त ने धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रश्नगत नामान्तरण दिनांक 25-10-2012 की जानकारी उन्हें दिनांक 07-01-2014 को हुई जिस पर नकल प्राप्त कर दिनांक 04-02-2014 को अपील प्रस्तुत की गई जो जानकारी प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में कारित विलम्ब क्षम्य किया जाकर अपील समयावधि में शुमार की जाए।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। समयावधि के बिन्दु पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता अपीलान्त का तर्क रहा कि अपील प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के युक्तियुक्त कारण रहे हैं और अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित होने से अपील प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब का शमन किया जाय। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में 1997 ए.आई.आर. 134, 2003 (3) डी.एन.जे. (राज.) 108, 2006 आर.आर.डी. 105 के न्याय निर्णयों का उल्लेख किया। अधिवक्ता रेसपोडेन्ट का तर्क रहा कि अपील प्रस्तुतीकरण में असामान्य व अत्यधिक विलम्ब विपक्षी के हक में अधिकारों का सृजन कर देता है। ऐसी स्थिति में अपील समयावधि के बिन्दु पर संधारणीय नहीं होने से खारिज करने का अनुरोध किया। पैरोकार राज का तर्क रहा कि प्रस्तुत अपील 1 वर्ष की अवधि से भी अधिक अवधि व्यतीत होने के पश्चात प्रस्तुत होने से दिन प्रतिदिन विलम्ब के यथेष्ट कारणों के अभाव में समयावधि से बाधित होने से खारिज योग्य ठहरती है जिसे खारिज की जाये। उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया है। अपील का गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना न्यायहित में ठहरने से अपील प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपीलान्त का इस संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपील के गुणावगुण के बिन्दु पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत नामान्तरण वाद में पारित निर्णय के अन्तर्गत जारी प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर भरा जाकर स्वीकृत नहीं किया जा सकता। उन्होंने वाद में एक पक्षकार की मृत्यु हो जाने के उपरान्त विधिक उत्तराधिकारियों को अभिलेख पर नहीं लिया। उन्होंने वादीगण के पक्ष में खातेदारी की घोषित आज्ञाप्ति की भूमि अपीलान्त के कब्जे व उपयोग, उपभोग में बताई और उनके द्वारा भूमि धारण विक्रय




अधीनस्थ
जिला न्यायालय
जयपुर

विलेख के आधार पर होना व्यक्त करते हुए प्रश्नगत नामान्तरण अपास्त करने का अनुरोध किया। अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट का तर्क रहा कि कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी में दर्ज भूमि से अधिक भूमि का विक्रय नहीं बता सकता और ऐसा विक्रय स्वतः प्रारम्भ से ही शून्य ठहरता है। उनका आगे तर्क रहा कि प्रश्नगत सहायक कलक्टर पोकरण के वाद में पारित निर्णय व उसके अनुसरण में जारी डिक्री के आधार पर प्रश्नगत नामान्तरण भरा गया है, जो विधि सम्मत है। उन्होंने वाद निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत अपील राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के न्यायालय में विचाराधीन बताई। उनका तर्क रहा कि वादीगण व रेस्पोजेन्ट अम्बालाल पुत्र रूपाराम प्रश्नगत भूमि में 1/3 हिस्से के ही हकदार है और इसी के अनुसार प्रश्नगत नामान्तरण वाद में पारित निर्णय अनुसार भरा जाकर स्वीकार किया गया है। उन्होंने अपील तथ्यों के विपरीत होकर संधारणीय नहीं होने से खारिज करने का अनुरोध किया। पैरोकार राज ने तर्क प्रस्तुत किया सहायक कलक्टर पोकरण द्वारा वाद संख्या 73/2009 में पारित निर्णय डिक्री में यह उल्लेखित है कि ग्राम पोकरण के खसरा नम्बर 1108 रकबा 06 बीघा 03 बिस्वा में गोपाला व किशना के विधिक वारिसान के नाम का नामान्तरण स्वीकृत करने के पश्चात उनके साथ माफिक विक्रय पत्र अनुसार कालूराम पुत्र गोपाराम उर्फ गोमाराम का 2/3 हिस्से का काश्तकार घोषित किया गया। फूसाराम व रावताराम उर्फ रावलाराम द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि का किया गया विक्रय वादीगण के प्रति बेअसर है। इसके लिये डिक्री पर्चा जारी किया जाकर तदनुसार रेकर्ड में इन्द्राज करने बाबत तहसीलदार पोकरण को निर्दिष्ट किया गया। इन्द्राज पश्चात वादग्रस्त भूमि के सहखातेदारों के मध्य धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मीटस एण्ड बाउण्डस के अनुसार विभाजन के लिये प्रारम्भिक डिक्री जारी कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार पोकरण को आदेशित किया गया। प्रश्नगत नामान्तरण तहसीलदार पोकरण द्वारा वाद में जारी डिक्री पर्चा एवं आज्ञापति के अनुसार भरा जाकर स्वीकृत किया गया है न कि प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर जैसा कि अपील में कथन किया गया है। प्रश्नगत नामान्तरण विधि सम्मत एवं पोषणीय बताते हुए उन्होंने अपील अपीलान्त खारिज करने का अनुरोध किया।

उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अध्ययन एवं विवेचन किया गया। अपील प्रस्तुतीकरण में कारित विलम्ब का न्यायहित में शमन किया जाता है। गुणावगुण के बिन्दु पर अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर देकर अपीलाधीन नामान्तरण पारित करना नहीं पाया जाता है। न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए अपितु न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। विधि के इस नैसर्गिक सिद्धान्त के अनुसरण में अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए प्रश्नगत नामान्तरण संख्या 6255 दिनांक 25.10.2012 अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार, पोकरण को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जात है कि वह उभय पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर एवं वाद निर्णय को चुनौती देने की अपील जो राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के न्यायालय में विचाराधीन है कि प्रार्थिति को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार नामान्तरण भरने व स्वीकार करने की कार्यवाही करे। उभय पक्ष अपना अपना व्यय वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 15-07-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।




(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
जैसलमेर